कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल– 462 003)

कमांक 1623/तकनीकी/2013 भोपाल, दिनांक 26/04/2013

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश।

विषय– **विकास/निर्माण अनुबंध–पत्रों पर विधि अनुसार कार्रवाई करने बाबत्।**

दिनांक 01.04.2011 से प्रभावशील विधिक प्रावधान अनुसार भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा भूमि के विकास या उस पर भवन के निर्माण से सम्बन्धित करार में वर्णित प्रस्तावित निर्माण या विकास के प्राक्कलित व्यय के बराबर बाजार मूल्य के 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क देय है। दिनांक 31.03.2012 को किए गए संशोधन अनुसार भूमि विकास सम्बन्धी करार पर शुल्क की उक्त दर घटाकर 1 प्रतिशत कर दी गई है।

यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मात्र 1 या 3 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभार्य कर कई ऐसे विकास/निर्माण अनुबंध–पत्र पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें अनुबंधग्रहीता को सम्पत्ति विकय करने का अधिकार भी दिया गया है। ऐसे अनुबंध–पत्रों में यदि अनुबंधग्रहिता को सम्पत्ति के विकय का अधिकार दिया जाता है तो सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के प्रावधान के तहत इसे अंतरिति के पक्ष में अंतरण मानते हुए conveyance अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2011 से पंजीकृत समस्त विकास/ निर्माण अनुबंध–पत्रों का उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर यथास्थिति भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 48 (ख) के अनुसार कमी स्टाम्प व पंजीयन शुल्क वसूली हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से दिनांक 31.05.2013 तक अनिवार्य रूप से अवगत कराएं। साथ ही भविष्य में होने वाले समान प्रकृति के करारों पर उक्तानुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य करना सुनिश्चित करें।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश, भोपाल।

E:\jyoti general letter update paripatra.rtf

पृष्ठांकन कमांक 1624 / तकनीकी / 2013 भोपाल, दिनांक 26 / 04 / 2013

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल।
2. समस्त क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश, भोपाल।